राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2550

08 अगस्त, 2018 को उत्तर के लिए

केन्द्रीय इस्पात के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु पेंशन योजनाएं

2550. श्री टी. रतिनावेल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने केन्द्रीय सरकारी इस्पात क्षेत्र के उद्यमों (पीएसईएस) जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) हेतु एक पेंशन योजना प्रारंभ करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मुहिम से 96,000 सेवारत तथा 56,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सहायता मिलेगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस पेंशन योजना से अनुमानतः 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): जी हाँ। इस्पात मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत् केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) यथा केआईओसीएल लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में दिनांक 01.01.2007 से कार्यपालकों के लिए तथा दिनांक 01.01.2012 से गैर-कार्यपालकों के लिए अथवा संबंधित सीपीएसई के बोर्ड द्वारा निर्धारित आगामी तारीख से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पेंशन योजना लागू करने पर सहमति दी है। सेल और आरआईएनएल को इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा सहित ब्यौरे तैयार करने की सलाह प्रदान की गई है।

(ग): जी हाँ।

(घ) और (ङ): लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह पेंशन योजना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थायित्व, भुगतान क्षमता तथा सामर्थ्य जैसे घटकों पर निर्भर करेगी। सरकार पेंशन योजना के संचालन के लिए कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।

*****